निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना।

आदेश

सं०सं०–11 / टी0बी0(विधि)–99 / 2010(पार्ट)–982(11) / पटना, दिनांक– 28/9 / 2018

माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर अवमाननावाद संख्या–1711 / 2016 अरविन्द प्रसाद एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य (सिविल रिव्यू संख्या–133 / 2003 सुर्दशन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–10.09.2014 को पारित न्यायादेश से उद्भूत) में दिनांक–31.08.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग, बिहार के द्वारा विज्ञापन संख्या–01 / 97 के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बी0सी0जी0 प्रावैधिकों की नियुक्ति हेतु अनुशंसित कुल 321 उम्मीदवारों के साथ बी0सी0जी0 दलनायकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित परन्तु नियुक्ति से वंचित शेष वैसे उम्मीदवार जो दिनांक–30.09.2018 तक 60 वर्ष से कम आयु के हैं, उन उम्मीदवारों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त विज्ञापन के तहत पूर्व में वर्ष 2000 ई0 में प्रथम समव्यवहार में बी0सी0जी0 प्रावैधिकों के कुल 109 वैसे उम्मीदवारों तथा बी0सी0जी0 दलनायकों के लिए कुल 37 अनुशंसित उम्मीदवारों में से 25 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी, जो उक्त विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप सरकारी संस्थान (टी0बी0डी0सी0, पटना एवं दरभंगा) से प्रशिक्षित थे। नियुक्ति से वंचित अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में उक्त नियुक्ति की Monitoring कर रहे Monitoring Bench के समक्ष अवमाननावाद संख्या 2828 / 1998 में IA दायर करते हुए नियुक्ति का अनुरोध किया गया, परन्तु Monitoring Bench द्वारा सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों की नियुक्ति किये जाने के विभागीय निर्णय को सही मानते हुए अवमाननावाद संख्या 2828 / 1998 को दिनांक 25.01.2006 को निष्पादित करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को बंद कर दिया गया।

कतिपय असफल गैर अनुशंसित उम्मीदवारों के द्वारा नियुक्ति की अनुशंसा रद्द करने हेतु एक समादेश याचिका संख्या–9256 / 1999 रत्नेश कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया था, जिसमें दिनांक–22.05.2002 को पारित न्यायादेश में सरकारी संस्थान से ही प्रशिक्षित उम्मीदवारों की नियुक्ति को सही ठहराया गया। पूर्व में नियुक्त 109 उम्मीदवारों में से 04 ऐसे उम्मीदवार जिनका प्रशिक्षण विज्ञापन के अनुरूप नहीं था, उनके द्वारा सिविल रिव्यू संख्या–133 / 2003 सुर्दशन प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया था, जिसमें दिनांक–10.09.2014 को पारित न्यायादेश में प्रशिक्षित उम्मीदवारों एवं अप्रशिक्षित उम्मीदवारों में अन्तर नहीं माना गया है। उक्त को आधार बनाते हुए सिविल रिव्यू संख्या–133 / 2003 में I.A. दाखिल करने वाले विभिन्न याचिकाकर्ताओं एवं अन्य उम्मीदवारों के द्वारा नियुक्ति हेतु उक्त अवमाननावाद संख्या–1711 / 2016 दायर किया गया जिसमें दिनांक–16.08.2018 एवं दिनांक–31.08.2018 को पारित न्यायादेश में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उपर्युक्त वर्णित सिविल रिव्यू में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सिर्फ प्रशिक्षित उम्मीदवारों का अनुशंसा पत्रांक–100, दिनांक–20.08.1999 द्वारा इस आशय के साथ भेजा गया था कि विभाग अपने स्तर से अनुशंसित अम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र इत्यादि की जाँच कर संतुष्ट हो लें। उक्त के संबंध में स्पष्ट करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सभी उम्मीदवारों की अनुशंसा प्रशिक्षित श्रेणी में ही की गई है, जिसमें प्रशिक्षण के लिए 2 अंक अतिरिक्त भी दिया गया होगा एवं गैर प्रशिक्षित किसी उम्मीदवार को मेघा सूची बनाते समय सम्मिलित नहीं किया गया होगा।

10

982(11)
28.9.18

28/9/18

अतः भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले दावे के आलोक में वर्त्तमान नियुक्ति का मामला विचारणीय हो सकता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि समादेश याचिका संख्या–17717/2008, अनवर खुर्शीद एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य एवं अन्य सदृश्य वादों में पारित न्यायादेश दिनांक–18.08.2018 के आलोक में विभाग द्वारा पूर्व में सकारण आदेश क्रमशः दिनांक–31.08.2017 एवं अवमाननावाद संख्या–1711/2016 में पारित न्यायादेश दिनांक–15.03.2018 के आलोक में एक अन्य सकारण आदेश दिनांक–16.06.2018 को पारित करते हुए विज्ञापन के शर्तों के आलोक में नियुक्ति का मामला अस्वीकृत किया जा चुका है। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्त्तमान अवमाननावाद संख्या–1711/2016 में पारित न्यायादेश दिनांक–16.08.2018 एवं दिनांक–31.08.2018 द्वारा सिविल रिव्यू संख्या–133/2003 में पारित आदेश दिनांक–10.09.2014 के आलोक में शेष बचे बी0सी0जी0 प्रावैधिक एवं बी0सी0जी0 दलनायक की नियुक्ति करने का निदेश पारित किया गया।

अतएव माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त अवमाननावाद में दिनांक–16.08.2018 एवं 31.08.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर नियुक्ति से वंचित रहे शेष बी0सी0जी0 दलनायक उम्मीदवार जो दिनांक–30.09.2018 तक 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं किये है, उनके मूल प्रमाण–पत्रों एवं वांछित कागजात का सत्यापन दिनांक–11.09.2018 को किया गया जिसके आधार पर निम्नांकित कुल 07 (सात) उम्मीदवारों को विशेष परिस्थिति में नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तों के साथ बी0सी0जी0 दलनायक के पद पर वेतनमान–5200–20200, ग्रेड–पे–2400, लेबल–4 में नियुक्ति निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के ज्ञापांक–937(11), दिनांक–15.09.2018 के द्वारा की गई है। नवनियुक्त कर्मियों का पदस्थापन निम्न प्रकार से किया जाता है :–

क्र0 सं0	मेधा क्रमांक/ अनुक्रमांक	नाम	जन्म तिथि	कोटि	पदस्थापन कार्यालय/स्थान
1	2	3	6		
1	01/38148	श्री बिन्दु कुमार पाण्डेय, पिता– श्री जयानन्द पाण्डेय, ग्राम+पो0+प्रखण्ड– हुलासगंज, जिला–जहानाबाद, मो0–9934290351	25 मार्च 1963	GEN	जिला यक्ष्मा केन्द्र, पूर्णिया
2	03/38007	श्री निर्मल कुमार सिंह, पिता– स्व0 बिगन सिंह, ग्रा0–लभुआनी, पो0–बनकट, था0–गड़हनी, जिला–भोजपुर, मो0–9308693871	16 जनवरी 1963	GEN	जिला यक्ष्मा केन्द्र, कटिहार
3	10/38169	श्री रामाधार प्रसाद सिंह, पिता–श्री जगदीश कुमार सिंह, ग्रा0–बड़वान, पो0–बेलाई, था0–नवीनगर, औरंगाबाद,मो0 –7766898444	15 अक्टूबर 1958	GEN	जिला यक्ष्मा केन्द्र, बक्सर
4	13/38048	श्री विजय कुमार, पिता– श्री सच्चिदानन्द सिंह, ग्रा+पो0–मीरनगर, था0–सरमेरा, जिला–नालंदा, मो0–9835072978	03 मार्च 1961	BC	अपर निदेशक, टी0बी0डी0सी0, पटना
5	28/38149	श्री शशि कुमार पिता–श्री सत्यनारायण सिंह, ग्रा0+पो0–केवड़ा, जिला–पटना, पिन–804453, मो0–9955105823	21. दिसम्बर 1965	BC	जिला यक्ष्मा केन्द्र, भभुआ

982(11) 28.9.18

28/9/18

6	35/38256	श्री शत्रु सुदन कुमार, पिता–स्व0 राजेश्वरी प्रसाद सिंह, ग्रा0–काजीपुर, था0–कदमकुऑ, जिला–पटना–4, मो0–9308589216	05 जनवरी 1963	GEN	जिला यक्ष्मा केन्द्र, वैशाली
7	36/38023	श्री राम उदय ठाकुर, पिता–श्री मोसदी ठाकुर, ग्रा0–तेनुआ, पो0–कडहरिया, भाया–बॉकरपुर जगत, थाना+प्रखण्ड–कल्याणपूर, पूर्वी चम्पारण, पिनकोड– 845413, मो0–9546905106	06 अप्रैल 1959	GEN	जिला यक्ष्मा केन्द्र, छपरा

2. नवनियुक्त कर्मी पदस्थापन आदेश के आलोक में एक पक्ष के अन्दर नव–पदस्थापित स्थान पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

3. नियुक्त कर्मियों का वेतन भत्ते का भुगतान उनके योगदान की तिथि से देय होगा।

4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, के द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र, एवं दहेज न लेने एवं न देने संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. वैसे नवनियुक्त कर्मी जिनके द्वारा अबतक वांछित कागजात निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को समर्पित नहीं किया गया है वें पदस्थापन स्थान पर योगदान के पूर्व अनिवार्य रूप वांछित कागजाता समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

6. यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक एवं अस्थायी है। भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अभिलेख के संबंध में गलत सूचना पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त कर दी जायेगी तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 के द्वारा प्रतिपादित वित्त विभागीय संकल्प संख्या–1964, दिनांक–31.08.2005 एवं 767, दिनांक–03.07.2007 के अनुसार उन कर्मियों को नयी अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत रखा जायेगा।

8. नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान देने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

9. उपर्युक्त नियुक्ति माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में की गई है जो मात्र उपर्युक्त वर्णित बी0सी0जी0 प्रावैधिकों / बी0सी0जी0 दलनायकों के संबंध में ही लागू होगी। इसे किसी भी अन्य मामले में पूर्वोदाहरण नहीं समझा जायेगा।

10. उपर्युक्त सभी बी0सी0जी0 दलनायक उम्मीदवारों की अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रशिक्षित श्रेणी में की गई है एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हेतु 2 अंक अतिरिक्त दी गई होगी। अतः भविष्य में इस मामले में किसी प्रकार के दावे/अपील के आलोक में नियुक्त कर्मियों की नियुक्ति प्रभावी होगी।

11. निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ से संपुष्टि/सत्यापन के बाद वेतन का भुगतान किया जायेगा। संपुष्टि पत्र के साथ संबंधित पदाधिकारी नवनियुक्त बी0सी0जी0 दलनायकों के फोटो को अभिप्रमाणित कर सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति को अभिप्रमाणित करते हुए अधोहस्ताक्षरी से संपुष्ट करालेंगे।

12. नियुक्ति/पदस्थापन प्रक्रिया में पायी गयी त्रुटि/भूल के सुधार का अधिकार विभाग को सुरक्षित रहेगा।

982 (11)
28.9.18

28/9/18

(डा0 आर0डी0 रंजन,)
निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–11 / टी0बी0(विधि)–99 / 2010 –982 (11) पटना, दिनांक–28/9 /2018

प्रतिलिपिः– संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ / अपर निदेशक–सह–राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (यक्ष्मा), अगमकुऑ, पटना / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित सिविल सर्जन / संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार / संबंधित अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, (संचारी रोग) जिला यक्ष्मा केन्द्र, बिहार / अतिरिक्त यक्ष्मा केन्द्र / संबंधित नियंत्री पदाधिकारी / वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–07 एवं 10 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

28/9/18

निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–11 / टी0बी0(विधि)–99 / 2010 –982 (11) पटना, दिनांक–28/9 /2018

प्रतिलिपिः– नव नियुक्त बी0सी0जी0 दलनायकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

28/9/18

निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।